

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी संजू सिंह पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी संजू सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी संजू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील तश्दीक पंचनामा एवं इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "आरोपी को तलाश किया, दिल्ली में मजदूरी करना बताया"।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी संजू अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक : 11/11/2016 से निरन्तर अनुपस्थित है। गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी संजू फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे हैं, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। जिससे यह दर्शित होता है कि आरोपी संजू अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी संजू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी संजू सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी संजू सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी संजू फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।